रजिस्ट्री सं० डी०(डी)-72 REGISTERED No.D.(D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 466] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 1979/कार्तिक 21, 1901
No. 466] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 1979/KARTIKA 21, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1979

का० आ० 721 (अ०).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्न-लिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है।

आदेश

दलित जाति संघर्ष समिति, हैदराबाद, के संयोजक डा० टी० के० कोचंडा राम ने राष्ट्रपति को आन्ध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा के आसीन सदस्य सर्वश्री नीलम चार्ल्स, बी० कृष्ण, के० ई० कृष्णमूर्ति, आर० नागभूषणम, डी० रवीन्द्र नायक और श्रीमती टी० सत्यवती के विरुद्ध तारीख 30 जनवरी, 1979 को एक याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि वे सदस्य संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (क) के आधार पर उस विधान सभा की सदस्यता के लिए अनर्हताओं के भागी हो गए हैं;

और राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 192 (2) के अधीन निर्वाचन आयोग को एक निर्देश 15 फरवरी, 1979 को इस प्रश्न पर आयोग की राय जानने के लिए किया था कि क्या पूर्वोक्त व्यक्ति ऐसी अनर्हताओं के भागी हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग का मत है (उपाबंध देखिए) कि संविधान (चौवालिसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 192 (1) के उपबंधों के संशोधन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति को उक्त प्रश्न पर विनिश्चय करने की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है और यह कि उक्त निर्देश असफल हो गया है और इसलिए आयोग ने उक्त निर्देश राष्ट्रपति को लौटा दिया है;

अतः, अब, मैं, नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति उक्त याचिका पूर्वोक्त वर्णित पिटीशनर को वापस करता हूँ।

राष्ट्रपति भवन, नीलम संजीव रेड्डी
नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1979 भारत का राष्ट्रपति

उपाबंध

भारत का निर्वाचन आयोग

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष

संविधान के अनुच्छेद 192 (2) के अधीन राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश—संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (क) के अधीन सर्वश्री नीलम चार्ल्स, बी० कृष्ण, के० ई० कृष्णमूर्ति, आर० नागभूषणम्, डी० रवीन्द्र नायक और श्रीमती टी० सत्यवती की निरर्हता के मामले में।

राय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त यह निर्देश मामला आंध्र प्रदेश की विधान सभा के निम्नलिखित 6 पदासीन सदस्यों की, जो 10-3-1978 से संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त किए गए हैं अभिकथित निरर्हता के संबंध में है :—

1. श्री नीलम चार्लेस, विधान सभा सदस्य
2. श्री बी० कृष्ण, विधान सभा सदस्य
3. श्री के० ई० कृष्णमूर्ति, विधान सभा सदस्य
4. श्री आर० नागभूषणम, विधान सभा सदस्य
5. श्री डी० रविन्द्र नायक, विधान सभा सदस्य
6. श्रीमती टी० सत्यवती, विधान सभा सदस्य

राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रश्न डा० टी० के० कोथंडाराम, संयोजक, दलित जाति संघर्ष समिति हैदराबाद ने उठाया है । डा० टी० के० कोथंडाराम की राष्ट्रपति को भेजी गई अर्जी 30 जनवरी, 1979 की है और राष्ट्रपति से निर्वाचन आयोग की प्राप्त निर्देश की तारीख 15 फरवरी, 1979 है ।

निरर्हता का प्रश्न मुख्य रूप से इस आधार पर उठाया गया है कि उक्त 6 पदासीन सदस्य इस आधार पर कि वे संसदीय सचिव का पद धारण करते हैं और उनके पद के साथ विनिर्दिष्ट धनीय फायदे जुड़े हुए हैं, संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अर्थ के भीतर आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करते रहे हैं । इस आधार के समर्थन में अर्जीदार डा० पी० के० कोथंडाराम ने विभिन्न दलीलें पेश की हैं ।

आयोग ने अभिकथित निरर्हता के प्रश्न की जांच करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 146 के अधीन कार्रवाई की और इस प्रयोजन के लिए पक्षकारों को सूचनाएं जारी करके 27 फरवरी, 1979 को कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

10 अगस्त, 1979 के लिए नियत सुनवाई में 6 पदासीन सदस्यों की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता श्री जी० नारायण राव ने संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 192 में किए गए संशोधन के आधार पर एक प्रारम्भिक आपत्ति की । उनकी दलील है कि संशोधित अनुच्छेद 192 के उपबन्धों के अधीन स्थिति यह है कि किसी राज्य विधान मंडल के किसी सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित कोई प्रश्न राज्यपाल के समक्ष उठाया जाना चाहिए और यह कि राष्ट्रपति को अब ऐसे किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है । उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि राष्ट्रपति को इस प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति द्वारा किया गया निर्देश उन्हें लौटा दिया जाय क्योंकि वह असफल हो गया है। श्री दीनदयाल ने जो यह दावा करते हुए आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे कि उन्हें उनके भ्रातृज डा० कोथंडाराम से साधारण मुख्तारनामा प्राप्त है और वे उसे धारण करते हैं, उक्त विधिक स्थिति को उस रूप में स्वीकार कर लिया जिस रूप में वह श्री जी० नारायण राव द्वारा प्रस्तुत की गई थी और वह इस बात से सहमत थे कि संविधान के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार यह प्रश्न आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल के समक्ष उठाया जाना चाहिए ।

मेरा विचार है कि श्री जी० नारायण राव द्वारा उठाई गई प्रारम्भिक आपत्ति कायम रखी जानी चाहिए । तदनुसार मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया निर्देश उन्हें वापस लौटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वह असफल हो गया है । परिणामस्वरूप, निर्देश उक्त राय के साथ लौटाया जाता है ।

हस्ता०/-
एस० एल० शकधर,
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली,
तारीख 20 अगस्त, 1979

[सं० एफ० 7(41)/79-वि० II]
आर० बी० एस० पेरी शास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 1979

S.O. 721(E).—The following Order made by the President is published for general information.

ORDER

Whereas a petition dated the 30th January, 1979, was submitted by Dr. T. K. Kothanda Ram, Convenor, Dalithajathi Sangarash Samiti, Hyderabad, to the President against S/Shri Neelam Charles, B. Krishna, K. E. Krishnamoorthy, R. Nagabhushanam, D. Ravindra Naik and Smt. T. Satyavathi, who are sitting members of the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh, alleging that they had become subject to disqualification for membership of that Assembly in terms of article 191(1)(a) of the Constitution ;

And whereas the President had made a reference to the Election Commission under article 192(2) of the Constitution, on the 15th February, 1979, for the opinion of the Commission, on the question whether the aforesaid persons had become subject to such disqualifications ;

And whereas the Election Commission is of the opinion (vide Annexure) that by reason of the amendment of the provisions of article 192(1) of the Constitution by section 25 of the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, the President has no jurisdiction to give a decision on the said question and that the said reference has become infructuous and has, therefore, returned the said reference to the President;

Now, therefore, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, do hereby return the said petition to the petitioner aforementioned.

Rashtrapati Bhavan.
New Delhi,
The 26th October, 1979.

NEELAM SANJIVA REDDY,
President of India

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA
BEFORE THE CHIEF ELECTION COMMISSIONER OF INDIA

In re : Reference from the President under Article 192(2) of the Constitution—Disqualification of S/Shri Neelam Charles, B. Krishna, K. E. Krishnamoorthy, R. Nagabhushanam, D. Ravindra Naik and Smt. T. Satyavathi under Article 191(1)(a) of the Constitution of India.

OPINION

This reference case from the President of India under Article 192(2) of the Consitution of India relates to the alleged disqualification of the following 6 sitting members of the Legislative Assembly of Andhra Pradesh who have been appointed as Parliamentary Secretaries from 10-3-1978 ;

1. Shri Neelam Charles, M.L.A.,
2. Shri B. Krishna, M.L.A.,
3. Shri K. E. Krishnamoorthy, M.L.A,
4. Shri R. Nagbhushanam, M.L.A.,
5. Shri D. Ravindra Naik, M.L.A.,
6. Smt. T. Satyavathi, M.L.A

The question before the President has been raised by Dr. T. K. Kothanda Ram, Convenor, Dalithajathi Sangarsh Samithi, Hyderabad. The petition of Dr. T. K. Kothanda Ram to the President is dated the 30th January, 1979, and the reference from the President to the Election Commission is dated the 15th February, 1979.

The main ground on which the question of disqualification has been raised is that the said 6 sitting members have been holding office of profit under the Government of Andhra Pradesh within the meaning of Article 191(1)(a) of the Constitution by virtue of their holding offices as Parliamentary Secretary with specified pecuniary benefits attached to their office. In support of this ground, various contentions have been raised by the petitioner, Dr. T. K. Kothanda Ram.

The Commission proceeded under section 146 of the Representation of the People Act, 1951 to enquire into the question of alleged disqualification and for this purpose commenced the proceedings on the 27th February, 1979, with the issue of notices to the Parties.

At the hearing fixed on the 10th August, 1979, Shri G. Narayana Rao, Advocate appearing on behalf of the 6 sitting members raised a preliminary objection based on the amendment to Article 192 of the Constitution made by section 25 of the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978. His contention is that under the provisions of Article 192 as amended, any question relating to the disqualification of a member of a House of the Legislature of a State is required to be raised before the Governor and that the President has now no jurisdiction to decide such a question. He further urges that in view of the lack of jurisdiction of the President to decide the question, the reference made by the President be returned to him as it had become infructuous. Shri Deenadayalu who appeared before the Commission claiming to be the holder of a General Power of Attorney from Dr. Kothanda Ram, his elder brother accepted the above legal position as put forth by Shri G. Narayana Rao and agreed that the question should be raised before the Governor of Andhra Pradesh in terms of the provisions of of the Constitution as they stand today.

I am of the view that the preliminary objections raised by Shri G. Narayana Rao should be upheld. Accordingly, I hold that the reference made by the President should be returned to him as it has become infructuous. Consequently, the reference is hereby returned with the above opinion.

Sd./-

S. L. SHAKDHER, Chief Election Commissioner, of India.

New Delhi,
Dated 20th August, 1979.

[No. F. 7(41)/79-Leg II]
R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979